(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 65/2023
दिनांकः 01 मार्च, 2024

विषयः संयुक्त अरब अमीरात को प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 07.12.2023 की अधिसूचना संख्या 49/2023 के पैरा 3 में निहित प्रावधान के अनुरूप केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को 3600 मी.ट. त्रैमासिक की अधिकतम मात्रा के साथ 14,400 मीट्रिक टन प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) के निर्यात की अनुमति प्रदान करती है।

2. <u>अधिसूचना का प्रभावः</u>

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को 3600 मी.ट. त्रैमासिक की अधिकतम मात्रा के साथ 14,400 मीट्रिक टन प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात अधिसूचित किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी 1.3.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

[फा. सं. 01/91/191/060/एएम–24/ईसी (इ–38291) से जारी]